कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

नजारत–अनुभाग

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मीरजापुर के परिसर में स्थित दुकान संख्या–8 (साईकिल स्टैण्ड) की नीलामी वर्ष 2026–27 की शेष अवधि अंतिम 06 माह हेतु निम्न प्रारूप के क्रम में योजित किया जाता है–

क्रम संख्या	विवरण दुकान	न्यूनतम धरोहर धनराशि	रिजर्व बिड की धनराशि	अवधि
1.	दुकान संख्या–8 (साईकिल स्टैण्ड)	10,000/–रू0	46750/–रू0	(1 अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) 06 माह

उक्त दुकान की नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किये जाने हेतु इच्छुक व्यक्ति धरोहर धनराशि मु0 10,000/–रू0 नकद मय प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2026 के प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 29.09.2026 को सायं 04.00 बजे तक नजारत अनुभाग में जमा कर सकते है। खुली बोली की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 30.09.2026 को सायं 04.30 बजे जनपद न्यायालय, मीरजापुर स्थित मीटिंग हाल में होगी। नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मीरजापुर से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर को किसी भी बोली को बिना कोई कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सामान्य शर्तें

1– इस नीलामी में केवल वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेगा जो पूर्व में किसी प्रकार से डिफाल्टर न रहा हो।

2– Security Money की धनराशि मु0 10,000/–रुपये होगी।

3– आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा की जायेगी एवं शेष धनराशि तीन बराबर–बराबर मासिक किस्तों में नीलामी की तिथि से तीन माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर दुकान का आवंटन बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है तथा आवंटित दुकान/साईकिल स्टैण्ड तत्काल खाली करना होगा। धनराशि जमा करने की अवधि किसी भी दशा में बढ़ायी नही जायेगी।

4— आवंटी को आवंटित दुकान/साईकिल स्टैण्ड किसी अन्य को किराये पर देने का अधिकार नही होगा।

5— आवंटी को आवंटित दुकान/साईकिल स्टैण्ड में स्थायी प्रकृति के निर्माण का कार्य/अतिक्रमण का अधिकार नही होगा। ऐसा करने पर नीलामी निरस्त किया जा सकता है।

6— आवंटी द्वारा नीलामी की शर्तो के उल्लंघन पर बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी निरस्त कर जमानत की धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जयेगी।

7— आवंटी आवंटित दुकान/साईकिल स्टैण्ड में जनपद न्यायालय परिसर की विद्युत का उपभोग नही करेंगें। इसके लिये उन्हे अलग से विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।

8— आवंटी को उपरोक्त शर्तो के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में आवंटन के समय अण्डरटेकिंग भी देनी होगी।

9— खुली बोली में सर्वाधिक बोली लगाने वाले को दुकान/साईकिल स्टैण्ड आवंटित की जावेगी।

Asif Iqbal 23/09/26

(आसिफ इकबाल रिजवी)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति,
अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं0–6
जनपद न्यायालय, मीरजापुर।

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1— जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को समस्त समाचार पत्र में अविलम्ब निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
2— जनपद न्यायालय, मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3— जिलाधिकारी, कार्यालय मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4— नगर पालिका परिषद मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5— सिस्टम अधिकारी, जनपद न्यायालय, मीरजापुर निविदा सूचना को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा जनपद न्यायालय, मीरजापुर के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Asif Iqbal 23/09/26

(आसिफ इकबाल रिजवी)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति,
अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं0–6
जनपद न्यायालय, मीरजापुर।